संकल्प सं0: 1/UD/DMA/EST-01/2011.................

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

दिनांक:................................

विषयः— झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लि० (JUIDCO, Ltd.) राँची की प्रस्तावित प्रदत्त पूंजी (Paid-up-Capital) की सीमा को 1.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रूपये किये जाने के संबंध में।

स्थानीय नगर निकायों में तकनीकी दक्षता के अभाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के केन्द्रीय सूत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0—2601 दिनांक—09.07.2013 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) का गठन किया गया है।

2. जुडको लि० के गठन संबंधी संकल्प की कंडिका—4 (vi) के अनुसार जुडको लि० की प्राधिकृत पूंजी तत्काल 50.00 करोड़ रूपये की होगी, जो 100/— रूपये के पचास लाख प्रतिभूतियों में विभक्त होगी। कंडिका—4 (vii) में इन प्रतिभूतियों का स्वामित्व निम्नवत् निर्धारित किया गया है :—

क्र०	अंशधारक	अंशधारक द्वारा धारित प्रतिभूति
1	महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड	49991
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड।	1
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड।	1
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड	1
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड।	1
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड।	1
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड।	1
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।	1
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड।	1
10	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड।	1

1650
29/03/16

3. संकल्प सं0 2601 दिनांक 09.07.2013 की कंडिका–4 (x) के प्रावधानानुसार जुडको लि० के सभी नीतिगत निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिए जायेंगे एवं कंडिका–4 (xi) के अनुसार कम्पनी का क्रियाकलाप Memorandum of Association (MoA) और Article of Association (AoA) के आधार पर संपादित/नियंत्रित होगा।

4. जुडको लि० के निबंधित Memorandum of Association (MoA) की कंडिका–C (v) में जुडको लि० का प्रस्तावित प्राधिकृत पूंजी (Authorised Capital) 50.00 करोड़ रू० निर्धारित है। दिनांक–16.10.2015 को सम्पन्न जुडको लि० के निदेशक मंडल की दसवीं बैठक के Item No.- 13/10/15 (vi) द्वारा जुडको लि० के प्रस्तावित प्रदत्त पूंजी (Paid-up-Capital) को भी 1.00 करोड़ रू० से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रू० निर्धारित किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

"Resolved that subject to the provisions of the Company Act, 2013 the company is authorised to increase its paid-up-capital from Rs. 1.00 crore to Rs. 50.00 crore.

Further resolved that Chairman-cum-Managing Director of the company be and is hereby authorised to do the needful relating thereto."

5. उपरोक्त संशोधनोपरांत Equity Shares जिसकी कीमत प्रति शेयर 100 रू० होगी, का स्वामित्व निम्नवत् निर्धारित होगा :–

1650
29/03/16

क्र०	अंशधारक	अंशधारक द्वारा धारित प्रतिभूति
1	महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड	49,99,930
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।	10
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड।	10
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड।	10
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड।	10
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।	10
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड।	10
8	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।	10

28/3

6. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जुडको लिमिटेड के माध्यम से शहरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, DPR बनाने एवं अन्य कार्य कराये जा रहे हैं, जो निम्नवत है:–

a) केन्द्र प्रायोजित नमामी गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत साहेबगंज एवं राजमहल में सिवरेज ड्रेनेज निर्माण कार्य, गंगा नदी के तट पर घाटों का निर्माण (River Front Development) एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य।

b) हरमू नदी, राँची का जिर्णोद्धार एवं संरक्षण का कार्य।

c) गोड्डा, राजमहल, सिमडेगा, लातेहार, वासुकीनाथ, चाकुलिया, कोडरमा, खुँटी, मझीआँव, विश्रामपुर एवं हुसैनाबाद की जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य तथा आदित्यपुर में PPP के आधार पर जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य एवं संचालन।

d) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राँची और धनबाद को छोड़कर सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में PMC (Project Management Consultant) कार्य।

e) काँके, हटिया, खण्डूरी, हिरू, छड़वा एवं हजारीबाग जलाशय का जिर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य।

f) साहेबगंज एवं राजमहल को छोड़कर सभी शहरी निकायों का City Sanitation Plan बनाने का कार्य।

g) राजीव आवास योजना अन्तर्गत चास एवं जमशेदपुर में शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण का कार्य।

h) राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य एवं ISBT निर्माण कार्य।

i) पर्यटन विभाग, झारखण्ड के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु DPR निर्माण का कार्य।

j) राँची के जोन–2, 3 एवं 4 के सिवरेज ड्रेनेज का निर्माण कार्य एवं राज्य के अन्य बड़े शहरों में सिवरेज–ड्रेनेज निर्माण हेतु DPR बनाने का कार्य।

उपर्युक्त कार्यों का सम्पादन जुडको लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है एवं भविष्य में और भी कार्य जुडको लिमिटेड को आवंटित किया जाना है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जुडको लि० की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने हेतु अतिरिक्त राशि संधारित रखने की आवश्यकता है, ताकि कार्यशील एवं भावी परियोजनाओं के लिए सरकार से विमुक्त की जाने वाली राशि में यदि विलम्ब हो तो कार्य प्रभावित नहीं हो।

इसके अलावा, जुडको के वैधानिक अन्य कार्यों हेतु भी राशि की आवश्यकता है। प्रदत्त पूँजी को बढ़ाने से जुडको की द्रव्यता (Liquidity) में भी सुधार आएगा तथा बड़े पैमाने पर कालक्रम में कार्यों हेतु राशि की आवश्यकता होने की स्थिति में इस प्रदत्त पूँजी से अस्थायी रिक्ति वित्त पोषण (Temporary Gap Financing) किया जा सकेगा।

उक्त के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी की प्रदत्त पूँजी को रूपये 1.00 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 50.00 करोड़ निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. जुडको लि० के निदेशक मंडल के उपरोक्त निर्णय एवं प्रस्ताव के आलोक में जुडको लि० की प्रदत्त पूंजी (Paid-up-Capital) की निर्धारित सीमा को 1.00 करोड़ से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रू० निर्धारित किया जाता है।

9. प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत सुसंगत बजटीय शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

10. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10–03–2016 के मद सं0–.5 में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

28.3.16

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

28/3

ज्ञापांक: 1/UD/DMA/EST-01/2011 1650 ....रॉंची/दिनांक 29/03/16

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3 28.3.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 1/UD/DMA/EST-01/2011 1650 ....रॉंची/दिनांक 29/03/16

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, जुडको लि0/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी आयुक्त, उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

28/3 28.3.16

सरकार के प्रधान सचिव।